

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

New Delhi, dated: 1-3-84

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

No. 5673 (F.No.261/9/83-ITJ) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in modification of Notification no. 5321 dated 21-7-1983, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in Column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Surtax or Interest tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column (2) and column (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of Section 11 of Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of the Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons and classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (i) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

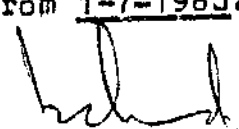
Charge with H. Qrs.	I.T. Wards/Circles & Districts	Range of IACs of Income-tax
1	2	3
CIT(A) - I	City Circle-I, Madras (All Sections)	IAC Range I
Madras	- do - II	IAC Range V
	- do - III	IAC Range X
	- do - IV	IAC Range IX
	- do - V	IAC Range VIII
	- do - VI	IAC Range VII & IAC Asstt. Range III
	Spl. Survey Cir. Madras (All Sections)	IAC Range II
	Salary Cir. I, Madras	
	Salary Cir. II, Madras	
	Salaries Cir., Madras (East while Cir)	IAC Range III
	Repund Circle, Madras	

Contd.....2/-

1	2	3
CIT(A) - II Madras	All Central Circles in Madras (All Sections) All Central Circles at Madurai (All Sections)	PACs Central Range I, II & III IAC(Asstt.) Central Madras
CIT(A)-III C	Co.Cir.III, Madras (All Sections) Tambaram Cir. (All Sections) Kancheepuram Cir. "	IAC Range IV IAC Range VII Madras
	Villupuram Cir. " Pondicherry " Cuddalore " Kumbakonam " Nagapattinam " Thanjavur "	IAC Range VI, Madras
	Tirunelveli " Tuticorin " Virudhunagar " Nagarcoil "	IAC Tirunelveli
	Spl. Inv. Cir. I, II & III Madras, (Erstwhile Hundi Cir. I & II, Madras) (All Sections)	IAC Range II Madras
	Spl. Inv. Cir. Madras (A & B) Erstwhile Circle Filam Cir. Madras "	IAC Range II IAC Range VIII
CIT(A) - IV	Company Circle. I (All Sections) Madras	IAC Com. Range & IAC(Asst) Range-I, Madras.
	Comp. Cir. IV, Madras " Foreign Section " Vellore Cir. "	IAC Range VIII IAC Co. Range Madras IAC Range VII Madras
	Comp. Cir. Madurai (All Sections) I.T. Cir. Madurai " Karaikudi " Dindigul " Ramanathapuram Cir. " (Erst while Cir.) Spl. Cir. Madurai (Erst while Cir.) Dealing with EPT Cases "	IAC Madurai
	Spl. Cir. (New Circle w.e.f. 2-12-1974) " Addl. Spl. Cir. Madurai " Spl. Sur. Cir. Madurai "	IAC(Asstt.) Range I Madurai IAC Range II Madras
CIT(A) VI Madras	City Cir. VII Madras " Comp. Cir. II Madras "	IAC Range IV IAC Range I & IAC(Asst) II, Madras

Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge from whom that Income-tax circle, ward or district or range or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the Charge to whom the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-7-1983.


(KALYAN CHAND)

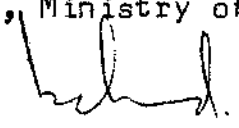
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu, Madras.
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
3. A.D.I. (RS & P) Bulletin Section, New Delhi.
4. I.T.C.C. Section (2 Copies)
5. Ad VI/E.D. Sections
6. The Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Shashtri Bhawan, New Delhi.


(KALYAN CHAND)

Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

भारत के राजपत्र के भाग 11, डाण्ड 3(ii) में प्रकाशनात्थ

भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 1-3-84

अधिसूचना
(आयकर)

सं० 5673 (फा०सं० 261/9/83-आ०क०न्या०) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 21-7-1983 की अधिसूचना संख्या 5321 में संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के आयकर आयुक्त (अपील), अनुसूची के स्तम्भ (2) तथा स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमंडलों, जिलों और रेजों में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कार्य करेंगे, जिन पर आयकर या अतिर या व्याजकर लगाया गया हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ज) में, कंपनी (लाभ) अतिर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) में और व्याजकर अधिनियम 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यधित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की भावत भी, कार्य करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के डाण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या शकिय में निदेश दें ।

अनुसूची

अधिकार क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड तथा परिमंडल	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों के रेज
1	2	3
आयकर आयुक्त (अपील)-1 मद्रास	सिटी परिमंडल । मद्रास (सभी अनुभाग)	नि० 10 आ० रेज ।

(५०५०३०)

1	2	3
	सिटी परिमंडल II मद्रास (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० रेंज V
	-यथो०- III "	नि०स०आ० रेंज x
	-यथो०- IV "	नि०स०आ० रेंज 1x
	-यथो०- V "	नि०स०आ० रेंज III
	-यथो०- VI "	नि०स०आ० रेंज VII
		तथा
		नि०स०आ० निर्या०
		रेंज III
	विशेष सर्वेक्षण परिमंडल मद्रास (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० रेंज 11
	वेतन परिमंडल I मद्रास - यथोपरि-	
	वेतन परिमंडल II मद्रास -यथोपरि-	नि०स०आ० रेंज III
	वेतन परिमंडल मद्रास (धृतपूर्व परिमंडल)	
	वापसी परिमंडल	
आयकर आयुक्त (अपील)-II	मद्रास में सभी केन्द्रीय परिमंडल (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० केन्द्रीय रेंज I, II तथा III
मद्रास	मदुरै में सभी केन्द्रीय परिमंडल (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० (नियारण) केन्द्रीय मद्रास
आयकर आयुक्त (अपील) III	कंपनी परिमंडल III मद्रास (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० रेंज IV
	तम्बरडु परिमंडल (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० रेंज VII
	कांचीपुरम परिमंडल "	मद्रास
	वेल्लुपुरम परिमंडल "	
	पाण्डिचेरी परिमंडल "	
	कुड्डालौर परिमंडल "	नि०स०आ० रेंज VI
	कुम्माकोमम परिमंडल "	त मद्रास
	नागापट्टिनम परिमंडल "	
	तंजावूर परिमंडल "	

1	2	3
		<u>1915</u> *
	तिरुनेवेलि परिमंडल (सभी अनुभाग)	
	टूटिकोरिन परिमंडल "	नि०स०आ० तिरुनेवेलि
	विस्सुनगर परिमंडल "	
	नागरकोइल परिमंडल "	
	विशेष जांचपरि० I, II, तथा III मद्रास	
	(भूतपूर्व हुण्डी परिमंडल I तथा II मद्रास) (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० रेंज II मद्रास
	विशेष जांच परिमंडल मद्रास	नि०स०आ० रेंज III
	(क और ख) भूत पूर्व परिमंडल	नि०स०आ० रेंज III
	फिल्ल परिमंडल मद्रास परि०	
		<u>1916</u> *
आयकर आयुक्त (अपील) IY	कंपनी परिमंडल I (सभी अनुभाग) मद्रास	नि०स०आ० कंपनी रेंज तथा नि०स०आ० (निर्घा०) रेंज I मद्रास
	कंपनी परि० IY मद्रास	नि०स०आ० रेंज III
	विशेष अनुभाग	नि०स०आ० कंपनी रेंज मद्रास
	वेलूर परिमंडल	नि०स०आ० V II मद्रास
	कंपनी परिमंडल मदुरै (सभी अनुभाग)	
	आयकर परिमंडल मदुरै	
	कराइकुई	
	डिण्डीमुल	
	रामनाथपुरम परि०	नि०स०आ० मदुरै
	(भूतपूर्व परि०)	
	विशेष परि० मदुरै (भूतपूर्व परि०) जो अति लाघ कर	
	मायलों को निपटाता है ।	

1	2	3
	विशेष परि० (नया परिमंडल)	
	2-12-1974 से (सभी अनुभाग)	नि०स०आ० (निर्धारण)
	अतिरिक्त विशेष परि० मदुरै "	रेंज । मदुरै
	विशेष सर्वेक्षण परिमंडल मदुरै "	नि०स०आ० रेंज ।। यद्रास
आयकर आयुक्त (अपील) Y ।	खिटी परि० ।। यद्रास "	नि०स०आ० (निर्धारण) रेंज । Y
यद्रास	कंपनी परि० ।। यद्रास "	नि०स०आ० रेंज । तथा नि०स०आ० (निर्धारण) ।। यद्रास

जहाँ कोई आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला या रेंज या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र से अन्य अधिकार क्षेत्र में अंतरित कर दिया गया है, वहाँ उस आयकर परिमंडल, वार्ड या जिले अथवा रेंज अथवा उसके किसी भाग में किये गये करनिर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व उस अधिकार क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से वह आयकर परिमंडल, वार्ड, जिला या रेंज या उसका कोई भाग अंतरित किया गया है, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकार क्षेत्र में अंतरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटायी जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड, जिला या रेंज या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है ।

यह अधिसूचना 1-7-1983 से लागू होगी ।

(कल्याण चन्द)

अवर सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

कायापुरी, नई दिल्ली ।